E.C

# न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

सचिदा प्रसाद गुप्ता ..... बनाम बिहारी प्रसाद गुप्ता .....

| क्र०/तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|
| | अभिलेख सं0–एम 120 /2017 धारा–107 द0प्र0सं0 थाना प्रभारी तमाड़ के अप्राथमिकी सं0–35/17 दिनांक–16/08/17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि दुकान के तिरपाल बांधने एवं बांस व गाड़ने को लेकर उभय पक्ष में विवाद है।<br><br>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।<br><br>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द0प्र0सं0 की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू0 का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।<br><br>अभिलेख तिथि 22/9/17 को उपस्थापित करें।<br><br>लेखापित एवं संशोधित<br><br>कार्यपालक दण्डाधिकारी,<br>बुण्डू।<br><br>6/9/17<br>कार्यपालक दण्डाधिकारी,<br>बुण्डू। | TP |
| 22-09-17 | अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष बयान दाखिल करे। दिनांक 13-10-17 को सुने।<br><br>22/9/17 | |

पृष्ठ सं०–

| तिथि | आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर | |
|---|---|---|
| 16-3-18 | पीठासीन अधिकारी नगर पंचायत चुनाव कार्य में व्यस्त। दिनांक 26-03-18 को रखे। | |
| 26-03-18 | अभिलेखन उपस्थापित। उभय पक्ष अधिवक्ता हाजरी। उक्त वाद में 6 (छः) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात वाद कालबाधित हो गया है। अतः वाद में अभिलेखन की कार्यवाही बन्द की जाती है। 26/3/18 | |